संख्या-क0नि0-5-3303/11-2001-312(185)/99 टी0सी0

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2001

विषय- नगर क्षेत्र में कृषि भूमि की दरें कम होने के कारण बैनामों पर होने वाले स्टाम्प शुल्क की क्षति रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में समय-समय पर कई ऐसे प्रकरण आयें हैं, जिनमें नगर क्षेत्रों में आबादी के आस पास स्थित खाली भूमि को कृषि भूमि दिखाकर अत्यधिक कम दर पर बैनामा कराया गया और इस प्रकार वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम दर पर स्टाम्प शुल्क देकर करापवंचन किया गया। ऐसे मामलों में प्रायः यह देखा गया है कि कलेक्टर द्वारा नगर क्षेत्र के लिये निर्धारित सर्किल रेट में कृषि भूमि की दरें आवासीय एवं व्यवसायिक भूति की दरों की तुलना में काफी कम दिखाई गई जिससे उप निबन्धकों तथा कलेक्टर द्वारा कमी स्टाम्प वसूलने की कार्यवाही नही की गई।

2. उपरोक्त को देखते हुए मुझे यह कहने का निदेश मिला है कि नगर क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि अथवा खाली पड़ी भूमि की दरें, उनके आस-पास स्थित आवासीय/औद्योगिक/ व्यवसायिक भूमि की दरों को देखते हुए ही निर्धारित की जाय। प्रति वर्ग मीटरके आधार पर आस-पास की आवासीय/औद्योगिक/व्यवसायिक भूमि का प्रति एकड़ जो मूल्य आता है, सम्बन्धित कृषि भूमि अथवा खाली पड़ी भूमि का भी मूल्य प्रति एकड़ उसके आस-पास ही रखा जाना चाहिए क्योकि वास्तव में बाजार में दोनों प्रकार की भूमि के मूल्य में कोई बड़ा अन्तर नही होता है। ग्रीन बेल्ट में स्थित कृषि भूमि की दरें कम भी रखी जा सकती हैं।

3. कृपया उपरोक्त के आधार पर अपने जनपद के नगर क्षेत्रों में कृषि भूमि की दरों में आवश्यक सुधार करने पर विचार करने का कष्ट करें।

पृष्ठांकन संख्या-क0नि0-5-3303(1)/11-2001, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि स्टाम्प आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व परिषद,उ0प्र0,इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

ह0/-

(यू0के0एस0 चौहान)

विशेष सचिव